प्रेषक

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 05 मार्च, 2020**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-10 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक-2401-119-03-0304-राजभवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की योजना में वेतन भत्तों की मदों में धनराशि रू0-4.59 लाख को पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-100/बजट/2019-20, दिनांक 19.02.2020 एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर.ई.-478/ई-193/दस-20, दिनांक 04.03.2020 तथा पृष्ठांकन सं0-443/58-2020-171/2018, दिनांक 04.03.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0304-राजभवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की 02-मजदूरी में हो रही बचतों के सापेक्ष संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित विभिन्न मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि कुल रू0-4.59 लाख (रूपया चार लाख उन्सठ हजार मात्र) मात्र की वित्तीय स्वीकृति कर आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(4) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध मे जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(5) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(6) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी-0304-राजभवन उद्यानों का अनुरक्षण (भारित) की 02-मजदूरी में हो रही बचतों के सापेक्ष संलग्न बी0एम0-9 में वर्णित विभिन्न मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-13 /2020/561 (1)/58-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अधीक्षक राजभवन, उत्तर पदेश लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in